

ले ज गुरमीत सिंह,  
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,  
वीएसएम (से नि)  
राज्यपाल एवं  
कुलाधिपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा  
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा  
विश्वविद्यालय, देहरादून।



राजभवन  
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020  
देहरादून : दिनांक : 29 फरवरी, 2024

### आदेश

एतद्वारा, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या-5459/जी0एस0(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को अतिक्रमित करते हुये हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 यथासंशोधित की धारा-10 की उपधारा-(5) व (6) के प्रावधानों के अधीन डा0 मदन लाल ब्रह्म भट्ट, प्रोफेसर, रेडियोथैरेपी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

हूँ—

(ले ज गुरमीत सिंह)  
कुलाधिपति।

संख्या : 10690 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रो0 (डा0) हेम चन्द्र, कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, न्यू होप टाउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।
6. डा0 मदन लाल ब्रह्म भट्ट, प्रोफेसर, रेडियोथैरेपी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, न्यू होप टाउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
Raman  
29.02.24  
(रविनाथ रामन)

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव।